<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/टी ए/2096/2005/टोंक</u>

1. सत्यनारायण पुत्र श्रीनारायण
2. श्योजी पुत्र श्री कल्याण
   समस्त जाति जाट निवासी ठिकरिया तहसील उनियारा जिला टोंक

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा

रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्ड पीठ</u>

श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री अजीत सिंह राठौड अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजेन्द्र चौधरी उप राजकीय अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

दिनांकः

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 31–3–05 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक के न्यायालय में प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत अधिनियम की धारा 88,89 व 188 के तहत पेश किया। विचारण

न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 26–3–04 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–3–05 के अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 4बीघा जिसके नये खसरा नम्बर250 रकबा 0–84 हेक्टर बने हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का सम्बत 2021से लगातार कब्जा होने से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24–2–65 के आधार पर 2–2 बीघा भूमि दिनांक 7–12–66 को नियमन की गई। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 49 तस्दीक किया गया किन्तु गिरदावर द्वारा इन्तकाल पर यह नोट अंकित किया गया कि इस अवधि में रकबा कमाण्ड घोषित हो चुका है अतः भूमि की कीमत जमा होने पर अमल हो। जिससे सिद्ध है कि विवादित आराजी अपीलार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा निष्पादित परिपत्र के आधार पर नियमन की गई थी। अपीलार्थी ने उक्त आक्षेप की पूर्ति हेतु भूमि की कीमत राशि एक हजार रूपये दिनांक 3–9–80 को जमा करा दिये। इसके बाबजूद राजस्व अपील प्राधिकारी यने रिमाण्ड आदेश में एक हजार रूपये का चालान निर्णय दिनांक से एक माह में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है जो गैर कानूनी है क्योंकि उक्त राशि अपीलार्थी द्वारा जमा कराई जा चुकी है। इसलिये अपीलार्थी के पक्ष में खातेदारी की डिक्री पारित करनी चाहिये थी। उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल न होने से भूमि की किस्म सिवाय चक से बदलकर चारागाह

दर्ज कर दी गई जिससे वादी के हक में खातेदारी का इन्द्राज नहीं हो पा रहा है जबकि बन्दोबस्त विभाग को अपीलार्थी को नियमित भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। फिर भी इस हेतु जिला कलेक्टर टोंक ने उप शासन सचिव राजस्व को दिनांक 21–9–85 को पत्र प्रेषित कर उक्त भूमि को चारागाह से कम कर सिवाय चक की स्वीकृति चाही गई है।क जिस पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है उसमें उन्हें यह भी निर्देशित करना चाहिये था कि राज्य सरकार द्वारा संपरिवर्तन बाबत स्वीकृति प्राप्त होने तक अपीलार्थी को बेदखल नहीं करें न ही धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित अपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर अपीलार्थी का वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी 2–2 बीघा भूमि आवंटन होना बताते हैं किन्तु पत्रावली में आवंटन आदेश संलग्न नहीं है। इन्होंने भू प्रबन्ध के दौरान कोई कार्यवाही नहीं की न ही भू प्रबन्ध समाप्त होने के बाद कोई कार्यवाही की। धारा 82 भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण जिला कलेक्टर को रेफर करना चाहिये जो कर दिया गया है तथा प्रकरण लम्बित है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्बत 2059, नकल जमाबन्दी सम्बत 2052से 2060,नकल खसरा परिवर्तनशील सम्बत 2045से 2056,नकल मिलान क्षेत्रफल,नकल जमाबन्दी सम्बत 2023 से 2026,नकल नामान्तरकरण संख्या 49, जिला कलेक्टर टोंक के आदेश दिनांक 21–9–85 व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि नकल नामान्तरकरण संख्या

49 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 134 में से 4बीघा भूमि कल्याण व श्रीनारायण पिसरान लादू जाट को आवंटन हुई थी। उक्त नामान्तरकरण पर यह नोट अंकित है कि यह रकबा कमाण्ड व चारागाह है जब तक जिलाधीश महोदय का आदेश होकर व कीमत रूपये एक हजार का चालान चस्पा न हो तब तक अमल नहीं किया जावे। तत्पश्चात नामान्तरकरण की पृष्ठ पर तहसीलदार ने यह आदेश पारित किया है कि क्योंकि कमाण्ड एरिया का नोटिफिकेशन दिनांक 11–7–68 को हुआ है और आवंटन 1966 में हुआ है। अतः कीमत लेने का सवाल पैदा नहीं है। यदि कीमतन होता तो आदेश में भी वसूली का आदेश दिया होता। अतः अमल कागजात पटवार में किया जावे। लेकिन अपीलार्थी द्वारा बाद में उक्त राशि भी जमा करा दी गई है जैसा कि जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 21–9–85 को प्रेषित पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा रूपये एक हजार का चालान पेश करने का अपीलार्थी को जो आदेश दिया है वह विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श–8 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा उप शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–4) विभाग जयपुर को दिनांक 21–9–85 को जो पत्र प्रेषित किया है उसमें यह अंकित किया है कि–''चूँकि भूमि पूर्व में आवंटन के समय सिवाय चक थी तथा बाद में गलती से चारागाह घोषित हो गई। अतः कृपया खसरा नम्बर 134 रकबा 4 बीघा को चारागाह से कम करने की स्वीकृति प्रदान करें ताकि आवंटन का अमल कराया जा सके।''उक्त पत्र की प्रति तहसीलदार उनियारा(अलीगढ) को प्रेषित कर आदेश दिये गये हैं कि प्रकरण राज्य सरकार के यहां स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः अग्रिम आदेश तक प्रार्थी से उक्त भूमि की कोई पेनल्टी राशि चारागाह मानकर कायम न करें। नही बेदखली की कार्यवाही की जावे। जिसकी प्रति अपीलार्थीगण को भी दी गई है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 134के हाल खसरा नम्बर 250 कायम किये गये हैं।

8– अपीलार्थीगण के पक्ष में आवंटन वर्ष 1966 में हुआ है, आवंटन के बाद अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 49 स्वीकृत हुआ है। आवंटन से पूर्व वादग्रस्त आराजी सिवाय चक थी बाद में उसे चारागाह घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर ने इस भूमि को चारागाह से कम करने हेतु दिनांक 21–9–85 को राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया है। लेकिन उप शासन सचिव के स्तर से अब तक क्या कार्यवाही हुई इस बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–8के अनुसार जिला कलेक्टर ने जो पत्र उपशासन सचिव को प्रेषित किया है उसमें यह स्पष्ट अंकित किया है कि भूमि पूर्व में आवंटन के समय सिवाय चक थी तथा बाद में गलती से चारागाह घोषित हो गई। बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राजात को बदलने का अधिकार नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग को दौराने भू प्रबन्ध राजस्व अभिलेख में अंकित इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार है। वादी नियमित वाद के माध्यम से भी इन्श्रद्राज दुरूस्ती करा सकता है। जिसकी दुरूस्ती के लिये वादी ने वाद दायर किया है।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उपरोक्त विवेचन अनुसार निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य